			किया है। इन अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर, राज्य सरकार ने परियोजना को स्थापित करने की अपनी सहमति दी है। सभी बाद के अनुमोदनों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से इन अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त किया गया था। ग्रामीणों ने इस मामले पर 7 जुलाई 2004 को जगतसूख गावं में फोकस समूह की बैठक में स्वतंत्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में इस मामले पर चर्चा की थी। स्वतंत्र पर्यवेक्षक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत की ओर से जारी किया गया था।		
36	**पुर्नवास कार्यवाही योजना का कार्यान्वयन**	एक आंशका है कि पुनवार्स कार्यवाही योजना को संगीनता के साथ क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।	कम्पनी सामाजिक योजनाओं एवं मानिटिरिंग कार्यक्रम के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाए करेगीः ❑ पुर्नवास कार्यवाही योजना की मॅानिटिरिंग एवं मूल्याकंन सैल की स्थापना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं उद्देश्यों को अपनाया जा रहा है।	**<u>खण्ड – I</u>** ❑ अनुभाग 10.21, पृ0 380-385 ❑ तालिका 10.16, पृ0 393 ❑ संलग्नक ड, परियोजना कार्यान्वयन के लिए समाजिक सैल को दर्शाता हुआ संगठन चार्ट	❑ कार्यान्वित अनुबन्ध धारा 5.16, **भाग 3, संलग्नक VIII** ❑ प्रीनि अनुबन्ध

			▫ पुर्नवास कार्यवाही योजना, स्थानांतरण भत्ता, पेड़ स्थानांतरण भत्ता, नौकरी वरीयता, आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण/कार्यकुशलता क्षमता की सुविधाएं तथा परियोजना प्रभावित लोगों के लिए समुदाय विकास योजना। आर ए पी को क्रियान्वित करने के लिए 50 लाख रूपये का एक बजट उपलब्ध कराया गया है। ▫ पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन एवं मॉनीटिरिंग योजना के अंर्तगत सभी मॉनीटिरिंग ग्रामवसियों को भागीदारी से होगी जिसमें प्रभावित गांवों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ▫ यह विर्निदिष्ट किया गया है कि परियोजना के लिए जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, ऐसे प्रत्येक परिवार से कम से कम व्यक्ति को रोजगार विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।		**संलग्नक III, परिच्छेद 1, 2, 11 और 12**
37	**पर्यावरणीय**	ग्रामीण यह महसूस करते हैं कि यद्यपि	क. पर्यावरणीय कार्यवाही योजनाओं को पूरा करना वन मंत्रालय तथा हि. प्र. रा.	**<u>खण्ड – I</u>** ▫ अनुभाग 10.18, पृ0	

	कार्यवाही योजना का कार्यन्वयन	कम्पनी ने सी ए टी योजना के लिए धनराशि जमा कराने की सहमति दे दी है तथा प्रतिपूरक वन रोपण के लिए राज्य सरकार को कहा है, पर्यावरणीय न्यूनीकरण तथा मानिटिरिगं योजना को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।	पर्या. प्र. नि. बो. के सैवेधानिक अनुमोदनो के अन्तर्गत आता है। ख. परियोजना के लिए पर्यावरणीय कार्यवाही योजना को पर्यावरणीय सैल की स्थापना करके कार्यान्वियन, प्रबन्धन एवं मॉनिटर करना है। ग. पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबन्धन एवं मानिटिरिंग योजना के अर्न्तगत सभी मानिटिरिंग ग्रमीणों की भागीदारी से होगी तथा इसमें प्रभावित गावों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा।	369-371 ❑ अनुभाग 10.21, पृ0 380-385 ❑ तालिका 10.15, अनुमानित लागत ई ए पी के लिए, पृ0 391-392	
38	**कोई विश्वसनीय अनुपालन तंत्र नहीं है।**	कुछ ग्रामीणों को का मानना है कि कोई विश्वसनीय पूर्ण अनूपालना भागीदारी तंत्र नहीं है।	कम्पनी ग्रामीणों को सम्मिलित करते हुए अनुपालन तंत्र के लिए वचनबद्व है। इसके अनुक्रम में शिकायत निवारक सैल (जी.आर.सी) की स्थापना की गई थी जो प्रभावित ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों पर विचार तथा कार्य करेगा। कम्पनी द्वारा एक अलग समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, ताकि वो एक स्वतंत्र अपील तंत्र के रूप में शिकायतों के निवारण तथा जी आर सी के कार्यो को ठीक प्रकार से सुनिश्चित करे।	<u>खण्ड - I</u> ❑ अुनभाग 10.21.4 पृ0 384-385	❑ शिकायत निवारक तंत्र के गठन के लिए दिंनाक 23 मई 2004 के आदेश की प्रतिलिपि, **संलग्नक XI** ❑ स्वतंत्र अपील तंत्र के गठन के

					लिए दिनांक 24 जून , 2004 को आदेश की प्रतिलिपि **संलग्नक XII**

4. अतिरिक्त सूचना

यह अनुभाग निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना से संबंधित हैः

(क) जैवविवधता बचाव के लिए आरम्भिक पर्यावरणीय कार्यवाही योजना;
(ख) सार्वजनिक प्रकटीकरण घटनाएं;
(ग) पर्यावरणीय एवं समाजिक प्रभाव मूल्यांक अध्ययन; तथा
(घ) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों से विभिन्न अनुमोदन अनुमतियां

4.1 जैवविविधिता बचाव के लिए आरम्भिक पर्यावरणीय कार्यवाही योजना

जैसे ही परियोजना का क्रियानवन आरंम्भ होता है जैवविविधित बचाव के लिए आरम्भिक पर्यावरणीय कार्यवाही योजना को शुरू किया जाना है। जैसा कि तालिका 4.1 में दिया गया है यह योजना परियोजना की विभिन्न गतिविधियों, न्यूनीकरण उपायों तथा निर्माण एवं सचांलन चरणों में इसे क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी को दर्शाती है।

तालिका– 4.1 जैव विविधता बचाव के लिए आरम्भिक कार्यवाही योजना

क्रं स0	मामला–परियोजना गतिविधि	सम्बद्ध प्रभाव	कार्यवाही योजना–न्यूनीकरण उपाए	दायित्व
क.	पूर्व निर्माण चरण			
1.	वन भूमि का अधिग्रहण तथा वन अनुमोदन	❑ परियोजना घटको की स्थापना के लिए वन भूमि का अपवर्तन ❑ 32 है0 वन भूमि की हानि तथा पेड़ों एवं अन्य वनस्पति को हटाना ❑ वन अत्याधिक महत्वपूर्ण पौध सम्पति है, क्योंकि यह चारे की पौध होने के अतिरिक्त जैव विविधता का प्रचुर भण्डार है। विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए साफ करने से पशुओं तथा पौधों एवं उनके निवास स्थलों की हानि होगी।	❑ 64 है0 से अधिक (दुगनी निम्नीकृत भूमि) पर प्रतिपूरक वनरोपण। वनरोपण वन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ❑ अनुमोदित वनरोपण योजना के अनुसार प्रतिपूरक वन रोपण सुनिश्चित किया जाए। ❑ केवल वन विभाग द्वारा गणना किए गए पेड़ गिराए जांएगे। पेड़ों को गिराने का कार्य केवल वन विभाग द्वारा किया जाएगा। ❑ ढीली मृदा को ठीक प्रकार से स्थिर किया जाना है तथा जहां ढलान का क्षेत्र है वहां आवश्यक तटबन्ध उपलब्ध कराए जाने हैं ❑ वन विभाग द्वारा अनुमोदित योजना को आर एस डब्लयु एम एल के द्वारा पूरा किया जाना	प्रबन्धक (भूमि अधिग्रहण) राज्य वन विभाग, प्रबन्धक (सामाजिक एंव पर्यावरण)

2.	परियोजना श्रेत्र के उपरी स्थानों पर वन क्षेत्रों के निकट निर्माण कैम्प स्थापित करना	❑ ईधन की मांग को पूरा करने के लिए श्रमिक पेड़ काट सकते हैं ❑ श्रमिकों की उपस्थिति से वन्य प्राणियों के जीवन में खलल पड़ सकती है (अर्थात ध्वनि, शिकार, पकड़ना आदि)।	❑ कम्पनी को ईधन की आपूर्ति (एल पी जी तथा मिट्टी का तेल) को सुनिश्चित करना है। ईधन की लकड़ी कि आवश्यकता के मामले में इसे वन विभाग द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। कम्पनी या इसके निर्माण ठेकेदार को खरीदे गऐ ईधन का भंडार तथा निर्माण कैम्पों में प्रयोग मे लाया जाए। ❑ श्रमिकों की आवाजाही को सीमित करने के लिए उचित तार-बाड़। ❑ मल त्याग के लिए गड्डा बना कर अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था करना तथा दिन-प्रतिदिन के आधार पर मिट्टी के द्वारा ढ़कना जिससे मक्खियां तथा अन्य बीमारियो के कीटाणु सम्पर्क न कर सके। गड्डों के चारो ओर अस्थायी रूप से ढकनें का प्रावधान ताकि रात के समय दुर्धटना से कोई वन्य जीव खड्डे मे न गिरे।	प्रबन्धक (सामाजिक एंव पर्यावरण) ग्रामवासियों की भागीदारी के साथ परियोजना का पर्यावरण मॉनीटरिंग सैल
ख.	निर्माण चरण			
1.	पहुँच सड़कें- सड़क का निर्माण ब्लास्टिगं अपशिष्ट निपटान	❑ स्तनधारी तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियों को बाधा तथा निवास की हानि का सामना करना पड़ेगा।	❑ कम प्रभावित क्षेत्र से सड़क की सीध मिलाना ❑ मलबे को डम्पिंग स्थलों तक स्थानांनतरित करना ❑ कम्पनी द्वारा कोई भी पेड़ नहीं गिराया जाएगा; केवल वन विभाग उनके द्वारा पहले	प्रबन्धक (सड़क/ पुल) प्रबन्धक (सामाजिक एवं प्रर्यावरण परियोजना के पर्यावरण मॉनिटयरिगं सैल के साथ

		❑ कुछ पेड़ों को हटाया जाएगा। ❑ खुला मलबा हमेशा के लिए भूस्खल तथा भूमि कटाव का कारण बन सकता है। ❑ श्रमिकों की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न बाधा ❑ साऊसूरिया कोसटस, कौरी डलिस गोवानियाना, सालविया मूरक्रोफिटियाना तथा नियैरिस, वायोला ओडीरेटा तथा डिस्कोंरिया डेलटोडिया जैसी हर्ब प्रजातियों जिसका औषधीय मूल्य है, कुछ प्रभावित हो सकती है। ❑ परियोजना क्षेत्र के साथ-साथ गाद तथा रेत की बढोतरी हो सकती है जिससे	से की गई गिनती के आधार पर कोई पेड़ गिराया जाएगा। ❑ समान्तर नुकसान को कम करने के लिए मलबे को निचली सीघ में फेकनें की अनुमति नहीं होगी ❑ 2400 मी से अधिक उंची श्रेणियों में तथा ओक एवं कॉनीफर वनों में ब्लास्टिंग तथा सड़क का निर्माण मई तथा जून के महीनों के अतिरिक्त महीनों में किया जाए, क्योंकि यह अधिकतर पक्षियों का प्रजनन समय होता है ❑ श्रमिकों की सीमित आवाजाही ❑ सड़क की सीध मे आने वाली दुलर्भ प्रजातियों को निकट के क्षेत्र में पुर्नवार्सित करने की आवश्यकता है। ❑ निर्माण चरण के दौरान गाद/रेत को नियंत्रित करने के तरीकों का प्रावधान, चैक दीवारों, चेक डेम तथा स्परस का प्रावधान।	ग्रामीणों की भागी दारी

		जलचर वन्यजीव पर विपरीत प्रभाव हो सकता है।		
2.	ब्लास्टिंग गतिविधि	❑ सुरंग की खुदाई के आरम्भिक चरण में ब्लास्टिंग तथा ड्रिलिंग से शोर हो सकता है जिससे पशुओं को स्थानीय बाधा होने की सम्भावना है जिससे पशुओं को अस्थायी रूप से जबरदस्ती स्थान को छोड़ना पड सकता है। वायु में एस पी एम बढ़ जाएगी। ❑ खोदी गई सामग्री से	❑ उच्च शोर उत्पादक मशीनरी तथा उपस्करों के लिए बाड़ों तथा अन्य तरीको का प्रावधान ❑ ब्लास्टिंग गतिविधि को दिन में केवल एक बार तक करने की सीमा जब चारों तरफ खुला हो। ब्लास्टिंग का समय निर्धारित किया जाए (मान लो 1400 बजे) अपरान्ह और यह सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू या वन्य पशु तथा स्थानीय लोग (अधिकतर चरवाहे) प्रभावित क्षेत्र की पहुंच मे नही हो। ❑ सड़क के निर्माण या सुरंग बनाने के समयों को एक के बाद एक नाकि साथ-साथ किया जाना चाहिए जिससे बाधा पूरे क्षेत्र की बजाए एक क्षेत्र में एक समय अवधि के लिए सीमित रहे। ❑ विद्युत मारण से बचने के लिए बिजली की तारों पर उचित इनसुलेशन का प्रावधान। ❑ खोदी गई सामग्री का निपटान, ट्रकों के संचालन का सीमित समय (उदाहरण के लिए 1300 बजे से 1600 बजे तक) सीमित रखा जाए।	प्रबन्धक (सड़क/पुल) प्रबन्धक (सामाजिक एंव पर्यावरण) प्रबन्धक (ठेके, क्रमशः विभिन्न भूमिगत पैकजों के लिए) परियोजना के पर्यावरण मॉनिटियरिगं सैल के साथ ग्रामीणों की भागीदारी

		वन क्षेत्र में समान्तर नुकसान हो सकता है		
3.	सामग्री लाने ले जाने वाले ठेकों का प्रचालन तथा सामान्य निर्माण गतिविधियां	❑ चारों तरफ की वायु मे धूल तथा शोर से क्षेत्र की परिस्थतकी में बाधा हो सकती है।	❑ प्रतिदिन के आधार पर फ्लीट प्रबन्धन ❑ सड़कों पर जल छिड़काव जैसे नियमित धूल बैठाने के तरीके ❑ निर्माण/खुदाई स्थलों के निकट बैरीयर स्क्रीनें	प्रबन्धक (सामजिक एवं पर्यावरण) प्रबन्धक (सड़क/ पुल) जिसके पास फ्लीट प्रबन्धन की जिम्मेवारी होगी। परियोजना के पर्यावरण मॉनिटियरिगं सैल के साथ ग्रामिणों की भागीदारी
4.	परियोजना कर्मशालाओं से अपशिष्ट जल का उत्पादन जिसमें उच्च तेलीय तथा ग्रीस के तत्व मिले हो,ड्रिलिंग गतिविधियां तथा कैम्प स्थलों एवं कलोनी से अपशिष्ट जल	❑ निचली धारा के जल चर जीवन पर प्रभाव	❑ कर्मशाला, ड्रिलिंग स्थलों, कैम्प स्थलों से उत्पादित अपशिष्ट जल के लिए उपचार संयत्र के साथ मानकों को सुनिश्चित करने के बाद ही निकासी।	प्रबन्धक (सामाजिक एवं पर्यावरण)
5.	पहाड़ों से निर्माण सामग्री के लिए खदानें ❑ धारा से	❑ आवासों की हानि ❑ खलल ❑ वायु (धूल) प्रदुषण ❑ जलचर आवासों को नुकसान ❑ गदलेपन में बढ़ोतरी ❑ जीव जन्तु प्रभाव	❑ अनुमति नहीं दी जाएगी ❑ अनुमति नही दी जाएगी	प्रबन्धक (सामाजिक एवं पर्यावरण) प्रबन्धक (सड़क/पुल) प्रबन्धक (ठेके, क्रमशः विभिन्न भूमिगत पैकेजों के लिए) परियोजना के सामाजिक